डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम (म.प्र.)

सैलाना रोड़, ग्राम बंजली, रतलाम (म.प्र.) 457001

अलाइड एण्ड हेल्थकेयर पाठ्यक्रम

कार्यालय दूरभाष नंबर :– 07412–284225

ईमेल :– deanratlam@gmail.com

वेबसाईट :– www.gmcratlam.org

GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE RATLAM

विद्ययाऽमृतमश्नुते

निर्देशिका एवं आवेदन पत्र

शैक्षणिक सत्र 2026–27

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम
सैलाना रोड़, ग्राम बंजली, रतलाम (म.प्र.)

Anita Mutha

डॉ. अनिता मूथा
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
डॉ. एल.एन.पी. शा.चि.महाविद्यालय रतलाम (म.प्र.)

डॉ. कोमल सिंह लिखार
पाठ्यक्रम प्रभारी अधिकारी

डॉ. गौरव सक्सेना
पाठ्यक्रम नोडल अधिकारी एवं समन्वयक

Scanned with OKEN Scanner

//संदेश//



डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम की स्थापना वर्ष
चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के उद्देश्य से की
के पश्चात से ही यह संस्थान चिकित्सा शिक्षा, रोगी कल्याण एवं
विस्तार की दिशा में निरंतर अग्रसर है।

वर्तमान समय में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलावों तथा आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों में विशेषज्ञ एवं कुशल मानव संसाधन की बढ़ती आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में इनका योगदान अपरिहार्य है।

इसी उद्देश्य से हमारे संस्थान में राष्ट्रीय आयोग (NCAHP) के दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित शैक्षणिक मानकों के अनुरूप एलाइड एंड हेल्थकेयर पाठ्यक्रमों का संचालन प्रारंभ किया जा रहा है। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण सैद्धांतिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक चिकित्सा तकनीकों पर आधारित व्यावहारिक एवं कौशलपरक प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।

हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल शैक्षणिक ज्ञान प्रदान करना ही नहीं, बल्कि उन्हें एक कुशल, दक्ष, संवेदनशील एवं जिम्मेदार स्वास्थ्य सेवा पेशेवर के रूप में विकसित करना भी है, ताकि वे भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन नवीन पाठ्यक्रमों के प्रारंभ होने से संस्थान की शैक्षणिक गतिविधियों को नई दिशा एवं विस्तार मिलेगा तथा क्षेत्र के विद्यार्थियों को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बेहतर शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अवसर प्राप्त होंगे।

मैं इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ।

Anita Mutha

डॉ. अनिता मूथा
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शा. चि. महा. रतलाम (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner

//संदेश//



डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, रतलाम में आपका स्वागत है। अस्पताल अधीक्षक के रूप में इस प्रतिष्ठित संस्थान का नेतृत्व करना मेरे लिए गौरव की बात है। यह संस्थान उत्कृष्ट रोगी देखभाल, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए समर्पित है। 19 अप्रैल 2021 को पदभार ग्रहण करने के बाद से मेरा उद्देश्य उच्चतम स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है, साथ ही हमारे मेडिकल छात्रों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों के लिए एक सहायक और पेशेवर वातावरण बनाए रखना है।

हमारा अस्पताल इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है, जो न केवल मध्य प्रदेश, बल्कि राजस्थान और गुजरात जैसे पड़ोसी राज्यों के मरीजों की भी सेवा करता है। विविध जनसंख्या, विशेष रूप से जनजातीय समुदाय की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमारा संकल्प है कि हम समाज के सभी वर्गों को सुलभ, सस्ती और उन्नत चिकित्सा सेवाएं प्रदान करें।

हमारे सम्मानित संकाय और समर्पित चिकित्सा टीम के मार्गदर्शन में, हम लगातार अत्याधुनिक ढांचे, नवीनतम चिकित्सा तकनीक और रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा अस्पताल आधुनिक निदान और उपचार सुविधाओं से सुसज्जित है, जिससे हम जनसंख्या की बढ़ती स्वास्थ्य जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें।

हमारे चिकित्सा महाविद्यालय का विस्तार, नर्सिंग कॉलेज और क्रिटिकल केयर यूनिट की स्थापना के साथ, हमें एक प्रमुख तृतीयक स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में सशक्त बना रहा है। ये नई सुविधाएं हमें विशिष्ट चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ अनुसंधान और शिक्षा के लिए भी एक सशक्त वातावरण प्रदान करती हैं।

डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में हम करुणामय रोगी देखभाल और शैक्षणिक उत्कृष्टता के समन्वय पर गर्व करते हैं। हमारा संकल्प केवल रोगों के उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि हम जनस्वास्थ्य जागरूकता, सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों और भविष्य के स्वास्थ्य पेशेवरों के निर्माण के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा को भी बढ़ावा देते हैं।

आगामी समय में, मेरा दृष्टिकोण है कि हम नवाचार, कार्यकुशलता और मजबूत नैतिक मूल्यों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक उन्नत करें। हमारे चिकित्सकों, नर्सों, अलाइड एण्ड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स और छात्रों के सामूहिक प्रयासों से हम गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा और रोगी देखभाल में नए मानदंड स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मैं आप सभी से इस प्रयास में सहभागिता की अपील करता हूं, ताकि हम एक स्वस्थ समाज और चिकित्सा विज्ञान के उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर हो सकें।

डॉ .प्रदीप मिश्रा

अस्पताल अधीक्षक

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शा. चि. महा. रतलाम (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner

//संदेश//



डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम की स्थापना 2018 में चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के उद्देश्य से की थी। स्थापना के पश्चात संस्थान द्वारा चिकित्सा शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की गई है।

स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के बढ़ते उपयोग एवं विशेषज्ञ मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए अलाइड एंड हेल्थकेयर शिक्षा का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में प्रशिक्षित अलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए हमारे संस्थान में राष्ट्रीय आयोग (NCAHP) के दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप नवीन अलाइड एंड हेल्थकेयर पाठ्यक्रमों का संचालन प्रारंभ किया जा रहा है।

इन पाठ्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को संबंधित विषयों का गहन सैद्धांतिक ज्ञान, आधुनिक उपकरणों एवं तकनीकों का प्रशिक्षण तथा आवश्यक व्यावहारिक दक्षता प्रदान करना है। इसके लिए शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ संबंधित चिकित्सा विभागों एवं अस्पताल की विभिन्न इकाइयों में प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

हमारा प्रयास है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने चयनित विषय में आवश्यक ज्ञान, तकनीकी दक्षता, व्यावसायिक नैतिकता एवं मानवीय संवेदनशीलता विकसित कर सके। इसके साथ ही विद्यार्थियों को भविष्य की स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप सक्षम एवं आत्मविश्वासी स्वास्थ्य सेवा पेशेवर के रूप में तैयार किया जा सके।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन नवीन पाठ्यक्रमों के माध्यम से संस्थान अलाइड एंड हेल्थकेयर शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेगा तथा विद्यार्थियों को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपना उज्ज्वल भविष्य बनाने के नए अवसर उपलब्ध होंगे।

मैं इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ तथा उनके सफल एवं उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना करता हूँ।

डॉ. कोमल सिंह लिखार
प्रभारी अलाइड एण्ड हेल्थकेयर पाठ्यक्रम
डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शा. चि. महा. रतलाम (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner

अलाइड एण्ड हेल्थकेयर पाठ्यक्रम स्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम
(स्ववित्त–पोषित)
महत्वपूर्ण तिथियाँ

1.	12–11–2026	नियम–निर्देशिका एवं आवेदन पत्र कॉलेज की वेबसाईट www.gmcratlam.org पर उपलब्ध होने की तिथि
2.	14–11–2026 प्रातः 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक	भरे हुए आवेदन पत्र महाविद्यालय में कार्यालयीन समय पर जमा करने की अंतिम तिथि
3.	14–11–2026 दोपहर 1:00 बजे	अंतरिम (Provisional) मेरिट सूची की घोषणा (संस्था के नोटिस बोर्ड पर)
4.	14–11–2026	मेरिट सूची से संबंधित किसी भी प्रश्न या आपत्ति को प्रस्तुत करने का समय दोपहर 02:00 बजे तक
5.	14–11–202	अंतिम मेरिट सूची की घोषणा
	प्रवेश के लिए प्रस्तावित काउंसलिंग शेड्यूल (आवेदक को योग्यता सूची के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों और फीस के साथ काउंसलिंग में शामिल होना अनिवार्य है।)	
6 i.	प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण 14–11–2026 (दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक)	स्नातक एवं डिप्लोमा कोर्स हेतु काउंसलिंग (स्क्रूटनी एवं आवंटन)
6 ii.	14–11–2026	प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण काउंसलिंग उपरांत रिक्त सीटों की सूचना (www.gmcratlam.org)
7.	23–11–2026	प्रवेशित कोर्स के संबंधित विभाग में कक्षा प्रारम्भ होने की तिथि सम्राट विक्रमादित्य विश्वद्यिालय उज्जैन/म.प्र. सह–चिकित्सीय परिषद्/ राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृति आयोग; द्वारा तत्समय जारी दिशा निर्देशों के अनुसार

नोट :–

1. उपरोक्त तिथियों में परिवर्तन की सूचना वेबसाइट www.gmcratlam.org पर प्रसारित की जाएगी।
2. पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त जानकारी के लिए वेबसाइट www.gmcratlam.org **पर नियमित रूप से अवलोकन करें।** पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई व्यक्तिगत कॉल लेटर सूचना जारी नहीं की जाएगी। नियमों/विनियमों/सीट विवरण में परिवर्तन की सूचना पृथक से न दी जाकर वेबसाइट एवं संस्था के नोटिस बोर्ड के माध्यम से जारी की जावेगी।
3. **रजिस्ट्रेशन समयावधि उपरांत किसी भी आवेदक को काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।**

Scanned with OKEN Scanner

अलाइड एण्ड हेल्थकेयर पाठ्यक्रम स्नातक एवं डिप्लोमा (स्ववित्त) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु दिशा निर्देश

आवेदन शुल्क :–

आवेदन शुल्क राशि रूपये 500/– (सामान्य वर्ग) एवं रूपये 300/– (आरक्षित वर्ग) कांउसलिंग के दौरान जमा करना अनिवार्य हैं। राशि ऑनलाइन माध्यम से संस्था के खाते संख्या– **37781005358, New Government Medical College Autonomous Society Ratlam** के नाम जो की **State Bank of India, Government medical college Ratlam Branch IFSC Code – SBIN0061542** के नाम जमा करनी होगी।

जमा राशि की रसीद आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाना अनिवार्य है साथ ही आवेदन फार्म पर ट्रांजेक्शन नम्बर लिखना भी सुनिश्चित करें। आवेदन शुल्क की रसीद नहीं होने पर आवेदन–पत्र अमान्य कर दिया जाएगा। अभ्यार्थी जमा राशि की रसीद के पीछे अपना पूरा नाम एवं पिता का नाम लिखना सुनिश्चित करें।

निर्धारित समय अवधि में प्राप्त आवेदन शुल्क :–

सामान्य वर्ग हेतुः	रू 500/–
आरक्षित वर्ग हेतुः	रू 300/–

नोट :–

1- आवेदन पत्र महाविद्यालय की वेबसाइट www.gmcratlam.org पर उपलब्ध है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र महाविद्यालय में स्वतः लेकर दिनांक 14/11/2026 को प्रातः 09:00 बजे से 12:00 बजे तक के मध्य उपस्थित होवें। केवल दिनांक 14–11–2026 दोपहर 12:00 बजे तक प्राप्त आवेदन पत्र ही स्वीकृत किए जाऐंगे। दोपहर 12:00 बजे के पश्चात् प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होंगे।

2- आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक अंक सूचियों एवं प्रमाण–पत्रों की स्व–सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3- काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि पर उम्मीदवार को स्वयं उपस्थित होकर गठित समिति के समक्ष अपना पाठ्यक्रम चयन कर पूर्ण शिक्षण शुल्क जमा करना होगा अन्यथा प्रवेश संबंधी दावा समाप्त माना जावेगा।

4- आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जावेगा।

5- समस्त पाठ्यक्रमों में आवेदन हेतु एक ही आवेदन पत्र एवं शुल्क जमा करना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

अलाइड एण्ड हेल्थकेयर पाठ्यक्रम समन्वय समिति

1. डॉ. कोमल सिंह लिखार, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, पैथोलॉजी विभाग — प्रभारी अधिकारी
2. डॉ. गौरव सक्सेना , सह–प्राध्यापक, माइक्रोबायोलॉजी विभाग — नोडल अधिकारी
3. डॉ. आर.सी ठन्ना, सहायक प्राध्यापक, बायोकेमिस्ट्री विभाग — सहायक नोडल अधिकारी

संबंधित चिकित्सालय एवं अधीक्षक

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शा.चि.महा. अस्पताल (अधीक्षक) : डॉ. प्रदीप कुमार मिश्रा

संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष

एनाटॉमी विभाग	: डॉ. राजेन्द्र सिंगरोले
फिजियोलॉजी विभाग	: डॉ. जगदीश चन्द्र हुन्डेकरी
बायोकेमेस्ट्री विभाग	: डॉ. मनोज पालीवाल
पैथोलॉजी विभाग	: डॉ. कोमल सिंह लिखार
माईक्रोबायोलॉजी विभाग	: डॉ. प्रफुल्ल सोनगरा
कम्युनिटी मेडिसीन	: डा. स्वर्णकांता लिखार

पाठ्यक्रम, विभागीय प्रभारी अधिकारी एवं समन्वयक

क्र.स.	पाठ्यक्रम का नाम	विभाग	प्रभारी अधिकारी	पाठ्यक्रम समन्वयक
1.	बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस (डिग्री कोर्स)	एनाटोमी	डॉ. राजेन्द्र सिंगरोले	डॉ.पुनीत शर्मा
		फिजियोलॉजी	डॉ. जगदीश चन्द्र हुण्डेकरी	डॉ. राहुल मित्तल
		बायोकेमेस्ट्री	डॉ.मनोज पालीवाल	डॉ. आर.सी ठन्ना
		पैथोलॉजी	डॉ.के.एस.लिखार	डॉ.नेहा बंसेरिया
		माईक्रोबायोलॉजी	डॉ.प्रफुल्ल सोनगरा	डॉ.शिवानी सिन्हा
		कम्युनिटी मेडिसीन	डॉ. स्वर्णकांता लिखार	आनन्द पाटीदार
2.	डिप्लोमा इन मेडिकल लेब टेक्नोलॉजी (डिप्लोमा कोर्स)	एनाटोमी	डॉ. राजेन्द्र सिंगरोले	डॉ.पुनीत शर्मा
		फिजियोलॉजी	डॉ. जगदीश चन्द्र हुण्डेकरी	डॉ. राहुल मित्तल
		बायोकेमेस्ट्री	डॉ.मनोज पालीवाल	डॉ. आर.सी ठन्ना
		पैथोलॉजी	डॉ.के.एस.लिखार	डॉ.नेहा बंसेरिया
		माईक्रोबायोलॉजी	डॉ.प्रफुल्ल सोनगरा	डॉ.शिवानी सिन्हा

Scanned with OKEN Scanner

COURSES DESCRIPTION

DEGREE COURSES

Bachelor Of Medical Laboratory Science (BMLS):- 4-years program (including 1 year of compulsory internship (Laboratory rotation /Research dissertation)- Bachelor's degree level.

For detailed curricula visit Government of India, Ministry of health and family welfare website https://ncahp.abdm.gov.in/Curriculum

Importance of Medical Laboratory Science Profession

Medical laboratory science is the branch of science which deals with all the clinical laboratory investigations on clinical samples for laboratory diagnosis of various diseases. Blood, tissue and body fluids are analysed and examined for various types of foreign organisms and abnormalities. This information is then used by the medical team to make decisions regarding a patient's medical care. 60-70% of all medical decisions are based on the results of clinical laboratory investigation reports.

Medical Laboratory Science is an important subject in the field of Medicine. In each system of Medicine, diagnosis of disease is a primary step because no treatment is possible without a proper diagnosis. It is the Medical Laboratory Technocrat, who performs this important task by various scientific tools and techniques.

In today's modern world of technology, the diagnosis, treatment & prognosis of various diseases depends upon the results of investigations carried out in a clinical laboratory. Thus, these professionals play a key role in the field of health care. Medical Laboratory Science has played a significant role in the advancement in the field of Medicine, especially in past few decades. As modern medicine becomes more of a team effort, the Medical Laboratory Scientist/Technologist is an important member and integral part of the Medical team.

Scope of practice

The scope of practice for a Medical Laboratory Science Professional encompasses a wide range of responsibilities related to the collection, preparation, analysis, and interpretation of biological samples to aid in the diagnosis, treatment, and monitoring of disease.

1. Sample Collection and Handling

- Collect blood, urine, stool, sputum, and other body fluids following proper protocols.
- Label, store, and transport specimens safely to avoid contamination or degradation.

2. Laboratory Testing and Analysis

- Perform tests in key laboratory disciplines:
- Haematology (e.g., CBC, ESR, coagulation studies)
- Clinical Chemistry (e.g., liver/kidney function tests, blood glucose)
- Microbiology (e.g., culture & sensitivity, Gram staining)
- Immunology and Serology (e.g., HIV, Hepatitis, CRP)
- Transfusion Medicine (e.g., blood grouping, cross-matching)
- Histopathology/Cytology (e.g., tissue processing, slide preparation)

3. Instrumentation and Technology

- Operate and maintain laboratory equipment such as analysers, microscopes,

Scanned with OKEN Scanner

centrifuges.
- Calibrate, troubleshoot, and ensure quality control of instruments.
- Use Laboratory Information Systems (LIS) for data entry and reporting.

4. Quality Assurance and Control
- Implement internal and external quality control measures.
- Participate in audits and accreditation processes (e.g., NABL, ISO 15189).
- Maintain records for traceability and legal compliance.

5. Data Interpretation and Reporting
- Validate and interpret test results within clinical context.
- Report critical values promptly to healthcare providers.
- Collaborate with clinicians for re-testing or confirmatory tests when needed.

6. Research and innovation
- Participate in development and validation of new diagnostic tests.
- Contribute to clinical trials or laboratory-based research projects.

7. Infection Control and Biosafety
- Follow biosafety protocols and handle infectious samples with care.
- Dispose of biomedical waste as per guidelines.

8. Education and Training
- Train junior staff, interns, or students.
- Laboratory instructor/trainer
- Curriculum development and policy
- Educational Administrator -Head of Department, Dean/Principal of Allied health sciences, academic coordinator
- Stay updated with continuing education, workshops, and certifications.
- Teaching and academic role - undergraduate and postgraduate MLS courses

Definition of Medical Laboratory Science Professional

"A medical laboratory professional (also referred to as a Medical Laboratory Technologist, a Clinical Laboratory Scientist or Clinical Laboratory Technologist) is a healthcare professional who performs chemical, hematological,immunologic, microscopic and microbiological diagnostic analyses on body fluids such as blood, urine, sputum, stool, cerebrospinal fluid (CSF), peritoneal fluid, pericardial fluid, and synovial fluid, as well as other specimens. Medical laboratory scientists work in clinical laboratories at hospitals, reference laboratories, biotechnology laboratories and non-clinical industrial labs."

Recognition of Title and Qualification in Various Sectors

Medical Laboratory Scientists (MLS/MLTs) play a vital role in diagnostics, research, and healthcare systems. Career progression in laboratories typically follows a structured pathway, from entry-level technical roles to leadership, specialised, and academic/research positions.

1. Entry-Level Roles (Fresh Graduates / Early Career)

- Medical Laboratory Technologist
  - Perform routine diagnostic tests in haematology, microbiology, chemistry, immunology, histopathology, and transfusion medicine.
  - Operate analysers, maintain equipment, and ensure quality control.
  - **Work under supervision in hospitals, private labs, or blood banks.**

2. Core Professional Roles

Scanned with OKEN Scanner

- Medical Laboratory Scientist (MLS)
  - Independently conduct complex laboratory tests, interpret results, and validate findings.
  - Troubleshoot instruments, ensure biosafety, and implement SOPs.
  - Collaborate with clinicians to provide diagnostic support.
- Specialised MLS (by discipline):
  - Haematology Specialist – Focus on blood disorders, coagulation, bone marrow studies.
  - Microbiologist – Culture & sensitivity testing, infection control.
  - Clinical Biochemist – Metabolic and biochemical assays, endocrinology testing.
  - Histopathology/Cytology Specialist – Tissue diagnosis, cancer screening.
  - Molecular Diagnostics Specialist – PCR, sequencing, genetic testing.

3. Senior/Leadership Roles

- Senior Medical Laboratory Scientist
  - Supervise staff, manage workflow, maintain accreditation standards.
  - Oversee quality assurance and regulatory compliance.
- Section Head / Department In-Charge
  - Lead a specialty department (e.g., microbiology or haematology).
  - Manage budgets, training, and technical advancements.
- Laboratory Manager / Director
  - Responsible for overall operations, strategy, and coordination with hospital administration.
  - Ensure compliance with national/international standards (e.g., NABL, CAP, ISO).

4. Specialised/Advanced Pathways

- Clinical Research Associate – Conduct clinical trials, monitor lab-based endpoints.
- Public Health Laboratory Scientist – Work on surveillance, outbreak investigations, epidemiology labs.
- Forensic Laboratory Scientist – Apply lab science in legal and criminal investigations.
- Transfusion Medicine Specialist – Manage blood banks, donor screening, transfusion safety.
- Molecular/Genomics Scientist – Focus on next-generation sequencing, genetic markers, personalised medicine.

5. Academic & Research Pathways

- Assistant Professor/Associate Professor/Professor in MLS – Train future lab professionals.
- Research Scientist – Work in universities, research institutes, or pharma companies.
- Doctoral/Postdoctoral Researcher – Advance diagnostic science through innovation.

6. Industry & Non-Traditional Roles

- Application Specialist (Diagnostic Companies) – Train labs on new equipment and assays.
- Product Development Scientist – Innovate diagnostic kits, reagents, and technologies.
- Quality & Regulatory Specialist – Ensure diagnostic products comply with global standards.
- Entrepreneur – Establish independent diagnostic laboratories or biotech start-ups.

Scanned with OKEN Scanner

DIPLOMA COURSES

Diploma in Medical Laboratory Technology (DMLT):- 2 Years

For detailed curricula visit Government of India, Ministry of health and family welfare website https://ncahp.abdm.gov.in/Curriculum

Program Overview

The Diploma in Medical Laboratory Technology (DMLT) is a competency-based, skilloriented program designed in alignment with the standards prescribed by the National Commission for Allied and Healthcare Professions. The program prepares learners to function as Medical Laboratory Associates by developing competencies in pre-analytical, analytical, and post-analytical phases of diagnostic laboratory services.

The curriculum integrates knowledge, skills, values, and attitudes (KSVA) required to support clinicians in diagnosis, treatment monitoring, and disease prevention.

Professional Role Definition

A Medical Laboratory Associate (DMLT graduate) is a healthcare professional who:

- Performs routine diagnostic laboratory tests under supervision
- Ensures accuracy and reliability of laboratory results
- Maintains laboratory equipment and consumables
- Adheres to biosafety, infection control, and quality standards
- Supports patient care through timely and accurate reporting

Program Objectives (Mapped to Competencies)

The program aims to:

- Develop competency in routine laboratory diagnostic procedures
- Build strong foundational knowledge base
- Promote ethical, safe, and quality-driven practices
- Enhance communication and teamwork skills
- Prepare learners for entry-level employment and career progression

Training Outcomes (Competency-Based)

On completion, the graduate will be able to:

- Perform laboratory procedures across all phases (pre, analytical, post)
- Ensure adherence to quality standards and safety protocols
- Assist in laboratory management and inventory control
- Demonstrate professionalism and effective communication
- Function efficiently as a Medical Laboratory Associate

Program Structure

- Duration: 2 Years
- Qualification: Diploma in Medical Laboratory Technology (DMLT)
- Medium: English

Scanned with OKEN Scanner

नियम एवं निर्देश

समस्त पाठ्यक्रम राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृति आयोग- द्वारा समय समय पर जारी नियमों एवं दिशानिर्देशों के अधीन होंगे।

A. पाठ्यक्रम अवधि एवं उपलब्ध सीटों की संख्या :–

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	उपलब्ध सीटस्
स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम			
1.	बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस (B.MLS)	04 वर्ष	20
डिप्लोमा पाठ्यक्रम			
1.	डिप्लोमा इन मेडिकल लेब टेक्नोलॉजी (DMLT)	02 वर्ष	20

B. सीटों का आरक्षण–म.प्र. शासन नियमानुसार पाठ्यक्रमों हेतु उपलब्ध सीटों में आरक्षित श्रेणियो के आवेदकों हेतु अनुसूचित जनजाति–20 प्रतिशत, अनुसूचित जाति–16 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग–14 प्रतिशत, EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)–10% सीट आरक्षित है।

Available Seats Distribution in different Degree/Diploma/Certificate Courses: 2026-27 Sessions
(Subject to M.P. state Govt. /M.P. Paramedical Council Rules/Order)

			Unreserved 40%					EWS 10%					ST 20%					SC 16%					OBC 14%				
SN	Name of the course	TOTAL SEAT	OPEN	PWD (5%)	SAINIK (M.P.) (3%)	FF (3%)	IS (10%)	OPEN	PWD (5%)	SAINIK (M.P.) (3%)	FF (3%)	IS (10%)	OPEN	PWD (5%)	SAINIK	FF (3%)	IS (10%)	OPEN	PWD (5%)	SAINIK (M.P.) (3%)	FF (3%)	IS (10%)	OPEN	PWD (5%)	SAINIK (M.P.) (3%)	FF (3%)	IS (10%)
1	Bachelor of medical laboratory Science (B.MLS)	20	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	1	0	2	1	0	0	0	3	0	0	0	0
2	Diploma in medical laboratory technology (DMLT)	20	7	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0	0	1	1	2	1	0	0	0	3	0	0	0	0

इस सूची में नए पाठ्यक्रम जोडे जा सकते हैं। सीटों की संख्या में सशोधन के लिए संस्थान के पास अधिकार हैं।
PWD- Person with disability (दिव्यांग), MP- Military Personnel (सैन्य कर्मी), FF- Freedom Fighter (स्वतंत्रता सेनानी), IS- In Service Candidate (शासकीय सेवा में कार्यरत संबंधित विभागीय कर्मचारियों हेतु आरक्षित) EWS- Economy weaker section (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)

Scanned with OKEN Scanner

1. सीटों का आरक्षण / आवंटन म.प्र. शासन के नियमानुसार होगा। – आरक्षण का निर्धारण पाठ्यक्रमवार उपलब्ध कुल सीट्स की संख्या पर किया जाएगा।
2. 33 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिये आरक्षित होगी।
3. तीन प्रतिशत (3%) सीट स्वतंत्रात सेनानी एवं तीन प्रतिशत (3%) सैनिक वर्ग के लिए आरक्षित होगी। यह आरक्षण क्षैतिज (हॉरिजोन्टल) होगा।
4. दिव्यांग प्रवर्गः– ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी, जो मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय निवासी हैं, उनके लिए पांच प्रतिशत (5%) सीट नियमानुसार आरक्षित है। यह आरक्षण क्षैतिज (हॉरिजोन्टल) होगा।
5. नियमित सेवारत शासकीय कर्मचारियों को पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत सीट आरक्षित है।

नोटः– दिव्यांग श्रेणी में प्रवेश हेतु केवल निचले अंगों की विकलांगता में 50 से 70 प्रतिशत दिव्यांगता वाले आवेदक ही पात्र होगे 50 से 70 (PWD-1) प्रतिशत की विकलांगता के अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होने पर 40 प्रतिशत से 50 (PWD-2) प्रतिशत के अभ्यर्थियों से यह स्थान भरे जावेंगे एवं उन्हें मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार पाठ्यकम में प्रवेश के लिए योग्यता प्रमाण पत्र एवं सी.एम.एच.ओ. द्वारा जारी दिव्यांगता (विकलांगता) प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। **शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति की निम्नलिखित श्रेणियों को पाठ्यकर्मों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगीः– 1. हाथ की विकलांगता 2. अंधापन 3. बहरापन 4. पैरों की 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता।**

C. प्रवेश हेतु पात्रताः–

1. पाठयक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान (वनस्पति विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान) विषयों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा वर्ष 2026 या उससे पूर्व उत्तीर्ण की गई हो। अभ्यर्थी द्वारा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान विषयों में संयुक्त रूप से न्यूनतम कम से कम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
2. हालांकि, अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC–नॉन क्रीमी लेयर) के अभ्यर्थियों के लिए अर्हकारी परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञानं एवं जीव विज्ञान विषयों में संयुक्त रूप से न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। दिव्यांग (PwBD/PwD) अभ्यर्थियों के लिए अर्हकारी परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान (अथवा वनस्पति विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान) विषयों में संयुक्त रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।
3. पाठयक्रम में प्रवेश के लिए लिए मध्यप्रदेश राज्य मूलनिवासी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, सीट रिक्त होने की स्थिति में अन्य राज्य के उम्मीदवारों को उनकी योग्यता/मेरिट लिस्ट के अनुसार श्रेणीवार प्रवेश दिया जाएगा, आरक्षण का लाभ केवल मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी उम्मीदवारों को ही दिया जाएगा।
4. **मेडिकल फिटनेसः** – मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र राज्य परिषद द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।
5. **आयु सीमा :–** पाठयक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदक की आयु दिनांक अर्थात् 31 दिसम्बर 2026 को न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए।
6. **गैप सर्टिफिकेट** – यदि आवेदक ने वर्ष 2026 से पहले 12 वी कक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसे विधिवत नोटरी पेपर में गैप प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. **सभी मार्कशीट प्रमाण** – पत्रों एवं संबंधित दस्तावेजों में उम्मीदवार का नाम एक सा होना चाहिए। यदि नाम में किसी भी प्रकार की भिन्नता हो तो उससे संबंधित वैध दस्तावेज लगाना अनिवार्य होगा।
8. **नियमित सेवारत शासकीय कर्मचारियों (IS)** के पैरामेडिकल डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट पाठयक्रम में प्रवेश लेने हेतु नियम एवं दिशा निर्देश :–
   a) विभागीय (शासकीय) कर्मचारियों हेतु – शासकीय कर्मचारियों को नियमित सेवा में होना अनिवार्य है तथा उसकी नियमित सेवा अवधि कम से कम 05 वर्ष तथा सेवानिवृत्ति में 05 वर्ष की समयावधि शेष होना

Scanned with OKEN Scanner

अनिवार्य है, अर्थात् डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु 07 वर्ष या अधिक की सेवा होना अनिवार्य है। उक्त कर्मचारी केवल द्विवर्षीय डिप्लोगा कोर्स हेतु ही पात्र होंगे।

b) पाठयक्रम चयन हेतु कक्षा 12 वी के प्राप्तांको के अनुसार बनाई गई प्रावीण्यता सूची मुख्य आधार होगी। शासकीय विभागीय कर्मचारी को उनके कार्यानुभव के आधार पर पांच वर्ष पश्चात प्रत्येक वर्ष के अनुभव पर 2 अंक प्रदान किए जावेंगे एवं अधिकतम 10 वर्ष का अनुभव ही सम्मिलित किया जावेगा। (अधिकतम 20 अंक)

c) मध्यप्रदेश अलाइड एण्ड हेलथकेयर कांउसिल, भोपाल द्वारा निर्धारित नियमानुसार नियमित सेवारत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत पात्र पैरामेडिकल कर्मचारियों को पैरामेडिकल पाठयक्रमों में प्रवेश हेतु अधिकतम 10 प्रतिशत सीट आरक्षित हैं। उक्त सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक कार्यरत शासकीय कर्मचारी को प्रवेश हेतु सक्षम अधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में अनुमति/स्वीकृति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त पाठयक्रम उस कार्यरत शासकीय कर्मचारी के लिए तथा शासकीय कार्यो में किस तरह उपयोगी है।

d) संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 748–51 स्था/अराज/2007 दिनांक 05/11/2007 के अनुसार यदि पैरामेडिकल स्टाफ से हटकर अन्य संवर्ग के अपात्र शासकीय कर्मचारियों को उक्त पाठयक्रम में प्रवेश हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है तो ऐसी स्थिति में अनुमति जारी करने वाले सक्षम अधिकारी जवाब देह होंगे।

e) बहु–उद्धेशीय कार्यकर्ताओं, ANM के पद पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों को संस्था में संचालित उक्त पैरामेडिकल की विषय अनुसूची में सम्मिलित कोई भी पाठयक्रम में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।

f) संबंधित कर्मचारी का उक्त प्रशिक्षण के लिए चयन होने एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के पूर्व उक्त कर्मचारी के पद की वैकल्पिक व्यवस्था सक्षम अधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

g) सक्षम अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु एक बार में अधिकतम 02 या 03 आवेदकों के आवेदन पर ही विचार किया जावे, एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर वरिष्ठ कर्मचारी के आवेदन पत्र भेजने में प्राथमिकता दी जावे।

h) प्रशिक्षण उपरांत उक्त कर्मचारी शासन के प्रचलित विभागीय भर्ती पदोन्नति नियमों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु दावा नहीं कर सकेगा।

i) प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवंटन प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत ही संबंधित को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु कार्यमुक्त किया जावे।

j) अनापत्ति प्रमाण पत्र व अनुमति प्रमाण पत्र में सक्षम अधिकारी आवेदन प्रोफार्मा–1 प्रमाण पत्र (विभागीय कर्मचारी हेतु) में विन्दु क्रमांक 2 में यह दर्ज करें की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारीकर्ता द्वारा प्रवेश विवरणिका के दिशा निर्देशों का अवलोकन करने के पश्चात ही सहमति प्रदान कर रहे हैं।

k) सेवारत अभ्यर्थी आवेदकों को काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान पाठयक्रम में प्रवेश के समय आवेदक विद्यार्थियों की तरह समस्त शुल्क देय होंगे एवं उनको भी अन्य आवेदको की तरह सीट लीविंग बॉन्ड निष्पादित करना होगा।

l) विभागीय शासकीय कर्मचारियों को पाठ्यक्रम अवधि (Tenure) पूर्ण होने के पश्चात पुनः अपने मूल विभाग में Joining देना अनिवार्य है।

D. चयन प्रक्रिया :–

1. पाठ्यक्रम में चयन उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) की प्रावीण्य सूँची (मेरिट) के आधार पर दिया जाएगा।
2. परंतु किसी पाठ्यक्रम के लिए विहित न्यूनतम अर्हता के आधार पर तैयार मैरिट सूची में अंको की समानता की दशा में:–

(क) मध्यप्रदेश के मूल निवासी एवं क्रमशः स्थानीय जिले के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके उपरांत बायोलॉजी में अधिक अंक वाले एवं अधिक आयु वाले अभ्यार्थी को क्रमशः प्राथमिकता दी जावेगी।

Scanned with OKEN Scanner

(ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासी से भिन्न उम्मीदवारों को हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर तैयार मेरिट सूची के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा।

3. गैप प्रमाण पत्र, यदि कोई हो–यदि आवेदक ने वर्ष 2026 से पहले 12वी कक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसे विधियत नोटरी पेपर में गैप प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. प्रवेशित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज संस्थान में काउसलिंग के दौरान जमा किए जायेंगे और पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद बिना बकाया राशि (No Dues) के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही वापस किये जायेंगे। यदि उम्मीदवार पाठयक्रमों में प्रवेश के पश्चात, बिना पाठ्यक्रम पूर्ण किए छोड़ता है तो उसे संस्थान को सीट लीविंग बंध (बांड) की राशि का भुगतान करना होगा।

E. प्रवेश हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया :–

1. निर्धारित तिथि पर मेरिट के आधार पर पाठ्यक्रम चयन/प्रवेश हेतु सभी उम्मीदावारों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। उपलब्ध सीटों पर मेरिट के आधार पर अनुसार वे अपना पाठ्यक्रम चयन कर सकते है।
2. प्रवेश हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु पृथक से कोई कॉल लेटर जारी नहीं किया जावेगा। आवेदक संस्था के नोटिस बोर्ड/चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट www.gmcratlam.org पर प्रकाशित किये जाने वाले दिशा निर्देश/सूचना/मेरिट लिस्ट/प्रावीण्य सूची आदि का अवलोकन करते रहे एवं प्रवेश हेतु उक्तानुसार पालन करना सुनिश्चित करें।
3. पाठ्यक्रम चयन हेतु काउंसलिंग के दिन समस्त मूल प्रमाण–पत्रों तथा निर्धारित फीस के साथ संलग्न शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में नियत समय पर स्वयं उम्मीदवार को उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। **काउंसलिंग प्रक्रिया शुल्क राशि रूपये 500/– (पॉच सौ रूपये मात्र) (नॉन रिफण्डेबल) काउंसलिंग की तिथि को जमा करवाना होगा।**
4. प्रवेश प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित मूल दस्तावेज जमा करने होंगे–
   a) हायर सेकेण्डरी कक्षा बारहवीं (10+2) की अंकसूची।
   b) स्कूल छोड़ने का प्रमाण–पत्र (टी.सी./एस.एल.सी.)।
   c) जन्म तिथि प्रमाण–पत्र (हाईस्कूल की अंकसूची जिसमें जन्मतिथि दर्शायी गई हो)
   d) माइग्रेशन सर्टिफिकेट (बोर्ड/विश्वद्यिालय)
   e) आधार कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
   f) मूल निवासी प्रमाण–पत्र।
   g) यदि लागू हो तो निर्धारित प्रोफार्मा में प्रमाण–पत्र प्रेषित करें–
      - सक्षम अधिकारी द्वारा वर्तमान में जारी जाति प्रमाण–पत्र।
      - मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार मान्यता प्राप्त सेंटर द्वारा जारी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता प्रमाण पत्र एवं सी.एम.एच.ओ. द्वारा जारी दिव्यांगता (विकलांगता) प्रमाण–पत्र।
      - नियमित सेवारत् विभागीय कर्मचारी (In Service) हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुमति प्रमाण–पत्र **(प्रोफॉर्मा–1)**।
      - सैनिक प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा वर्तमान में जारी **(प्रोफॉर्मा–2 अ,ब,स** जो भी लागू हो)।
      - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण–पत्र **(प्रोफॉर्मा–3)**।
      - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का अंतिम वित्तीय वर्ष का प्रमाण–पत्र (तहसीलदार द्वारा जारी) **(प्रोफॉर्मा–4)**।

   नोट :– सभी दस्तावेज दिए गए प्रोफॉर्मा में होना आवश्यक है। प्रोफॉर्मा इस निर्देशिका के अंत में संलग्न हैं।

   h) माता/पिता/पालक/स्वयं का संयुक्त आय प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी (पिछले वित्तीय वर्ष का)

Scanned with OKEN Scanner

नोट :–

अ. सर्टिफिकेट/मार्कशीट/अन्य दस्तावेजों में नाम भिन्न होने की स्थिति में संबंधित वैध दस्तावेज। समस्त मूल दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी पेन–ड्राइव में एवं दो सेट छायाप्रतियों में जमा करवाना अनिवार्य है।

ब. प्रवेश के समय जमा किये गये समस्त मूल दस्तावेज आवेदक द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण होन के उपरान्त लेखा शाखा, पुस्तकालय, खेलकूद, होस्टल, प्रयोगशाला, एवं अन्य संबंधित विभागों आदि से अदेय प्रमाण पत्र (No Dues) प्रस्तुत करने के उपरान्त ही लौटाये जावेगें।

5. प्रवेश हेतु जारी प्रावीण्य सूची के अनुसार निर्धारित तिथियों पर काउन्सलिंग प्रक्रिया में आवेदक को प्रवेश समिति के समक्ष वरियता क्रमांक के अनुसार तत्समय उपलब्ध पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीट पर प्रवेश हेतु वांछित मूल दस्तावेज एवं निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क प्रवेश के दौरान ही जमा करवाने होंगे, अन्यथा आवेदक का प्रवेश सम्बन्धी अधिकार/दावा स्वयंमेव समाप्त हो जावेगा।
6. यदि किसी श्रेणी में आरक्षण की सीमा तक योग्य उम्मीदवार नहीं हैं, तो रिक्त सीटों को अन्य श्रेणियों में उपलब्ध कराकर भरा जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया हैं :–
   i. एसटी श्रेणी की खाली सीटों को एससी श्रेणी वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।
   ii. एससी श्रेणी की खाली सीटों को पात्र एसटी वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।
   iii. अगर एसटी और एससी श्रेणियों में आरक्षण के लिए योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो रिक्त सीटों को ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा।
   iv. यदि पात्र अभ्यार्थी उपरोक्त तरीके से तीन आरक्षित श्रेणियों में उपर के चरणों में उपलब्ध नहीं हैं, तो रिक्त सीट को पात्र अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।
   v. EWS श्रेणी की रिक्त सीटों को, अनारक्षित श्रेणी वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरा जावेगा।
7. यदि PWD (दिव्यांग), MP (सैन्य कर्मी), FF (स्वतंत्रा सेनानी), IS (इन–सर्विस) श्रेणियों में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो ऐसी खाली सीट को उस श्रेणी की खुली (ओपन)सीट में बदल दिया जाएगा।
8. एसटी/एससी/ओबीसी वर्ग से उम्मीदवार, जिनका नाम उनकी श्रेणी के मेरिट/प्रतीक्षा सूची के साथ–साथ अनारक्षित सूची में भी दर्शाया गया हैं, उनके पास काउंसलिंग के दौरान विकल्प होगा कि वह उनकी अपनी श्रेणी अथवा अनारक्षित श्रेणी में प्रवेश ले सकते हैं।
9. उम्मीदवार द्वारा काउंसलिंग में चयनित पाठ्यक्रम किसी भी स्थिति में परिवर्तित (बदलाव) नहीं किया जावेगा।
10. उम्मीदवार को काउंसलिंग में भाग लेने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

F. फीस संरचना :–

शुल्क का विवरण सत्र – 2026–27

म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्र. एफ/5–14/18/1/55/चि.शि. भोपाल दिनांक 24 मई 2018 की कंडिका 02 के परिपालन में रजिस्ट्रार, म.प्र. सह–चिकित्सीय परिषद के पत्र क्रमांक–F-26/कॉलेज/2025–2026/797/2026 भोपाल दिनांक 06–05–2026 एवं क्रमांक–F-No.-01/MPAHC/कॉलेज/2026–27/35 भोपाल दिनांक 03–11–2026 के अनुसार :–

स्नातक पाठ्यक्रम बी.एम.एल.एस हेतु शुल्क (सेमेस्टर–1)

क्र.	विवरण	शुल्क
1	शिक्षण शुल्क	रूपये 46150
2	खेलकूद मनोरंजन	रूपये 1000
3	आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	रूपये 1000
4	प्रयोगशाला एवं सामग्री शुल्क	रूपये 1000
5	सुरक्षा निधि (वापसी योग्य)	रूपये 5000
	कुल योग रूपये	रूपये 54,150/–

Scanned with OKEN Scanner

सेमेस्टर–2 से सेमेस्टर–6 के लिये देय शुल्क रू. 46150/–प्रति सेमेस्टर होगा। अनुत्तीर्ण होने पर नियमानुसार शुल्क देय होंगे।

द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुल्क (सेमेस्टर–1)

क्र.	विवरण	शुल्क
1	शिक्षण शुल्क	रूपये 29,680
2	खेलकूद मनोरंजन	रूपये 1000
3	आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	रूपये 1000
4	प्रयोगशाला एवं सामग्री शुल्क	रूपये 1000
5	सुरक्षा निधि (वापसी योग्य)	रूपये 5000
	कुल योग रूपये	**रूपये 37,680/–**

सेमेस्टर–2 से सेमेस्टर–4 के लिये देय शुल्क रू. 29,680/–प्रति सेमेस्टर होगा। अनुत्तीर्ण होने पर नियमानुसार शुल्क देय होंगे।

नोटः– 1. सुरक्षा निधि सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् ही वापस लौटायी जावेगी।
2. प्रवेश लेने वाले सेवारत नियमित शासकीय कर्मचारियों को भी पूर्ण शुल्क जमा करना होगा।

- पाठ्यक्रम शुल्क– आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र. शासन के परिपत्र कलेक्टर रतलाम, कार्यालय आदिम जाति कल्याण विभाग के अनुसार फीस में रियायत एवं छात्रवृत्ति शासन द्वारा देय होगी। इस हेतु उन्हें वर्तमान वर्ष का अपने माता/पिता/पालक का संयुक्त आय प्रमाण पत्र एवं आरक्षित श्रेणी के प्रमाण–पत्र की छायाप्रति फॉर्म के साथ संलग्न करना होगी एवं काउंसलिंग के समय मूल प्रतिलिपी प्रस्तुत करना होगी।

G. शुल्क के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु :–

1. समस्त श्रेणी के उम्मीदवारों को स्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम का निर्धारित **प्रथम सेमेस्टर का शुल्क काउंसलिंग के समय अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।** पाठ्यक्रम का निर्धारित शुल्क **SBI Collect Portal** के माध्यम से पाठ्यक्रम चयन के समय (काउंसलिंग के दौरान))जमा करना होगा। निर्धारित शुल्क एवं आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने के उपरांत ही पाठ्यक्रम में प्रवेश सुनिश्चित होगा।
2. **सीट लीविंग बॉन्ड** :– डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले आवेदकों को अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी शा.स्व. चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम के नाम, सीट लीविंग बॉण्ड संपूर्ण शिक्षण शुल्क के 0.5% के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित कर नोटरी करवाकर काउंसलिंग के दौरान जमा करवाना होगा, जिसकी राशि सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के शिक्षण शुल्क के बराबर रहेगी, जिसमे स्पष्ट उल्लेख हो कि आवेदक यदि किसी भी कारणवश पाठ्यक्रम छोड़ता है/निष्कासित किया जाता है तो वह सीट लीविंग बॉन्ड राशि संस्था में जमा करवायेगा। सीट लीविंग बॉन्ड रतलाम न्यायिक का होना अनिवार्य हैं। उक्त सीट लीविंग बॉन्ड प्रवेश दिवस से प्रभावी माना जावेगा।
3. संस्था में समस्त पाठ्यक्रम स्व–वित्तीय आधार पर संचालित है, अतः समस्त श्रेणी के आवेदकों/इन–सर्विस कैंडिडेट्स को निर्धारित समस्त शिक्षण और अन्य शुल्कों का भुगतान प्रवेश के समय एवं तत्पश्चात निर्धारित तिथियों पर करना होगा, संस्था में जमा किये गए शुल्क वापिस नहीं किये जावेंगे।
4. आरक्षित श्रेणीः– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र छात्र, आदिवासी कल्याण विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मप्र राज्य सरकार को शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए निर्दिष्ट वेबसाइट पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। नियमानुसार छात्रवृत्ति एवं शिक्षण तथा अन्य शुल्क की प्रतिपूर्ति उम्मीदवार के बैंक खाते में शासन द्वारा जमा की जावेगी। **पात्र छात्रों द्वारा निर्धारित समय में छात्रवृत्ति फार्म ना भरे जाने अथवा आवेदन निरस्त होने पर पाठ्यक्रम शुल्क छात्र को स्वयं वहन करना होगा।**

Scanned with OKEN Scanner

5. छात्रों को अगले शैक्षणिक सत्र की शुरूआत से पहले/समय-समय पर जारी नोटिसों में उल्लेखित/निर्धारित तिथियों के अनुसार शिक्षण और अन्य शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि छात्र निर्धारित समय में कॉलेज की फीस जमा करने में विफल रहते हैं, तो विलम्ब शुल्क रू. 20/- प्रति दिवस के हिसाब से देय होगा।
6. यदि विद्यार्थी को खराब आचरण, गैर-कानूनी/असामाजिक गतिविधियों, नियमों के उलंघन एवं अन्य किसी कारणवश संस्था से निष्काशित किया जाता हैं अथवा विद्यार्थी निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण किये बिना छोड़ता है, तो संस्था में जमा किये गए किसी भी प्रकार के शुल्क वापिस नहीं किये जावेंगे एवं निर्धारित सीट लीविंग बॉन्ड राशि का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
7. छात्रों को समय-समय पर कम्प्यूटर, स्टेशनरी, गेम्स, मैगजीन फीस आदि के लिए अन्य शुल्क लगाया जा सकता है।
8. छात्र के किसी भी शैक्षणिक सत्र में अनुत्तीर्ण होने पर पूरक/सप्लीमेंटरी परीक्षा में सम्मिलित होना होगा एवं विश्वद्यिालय को निर्धारित शुल्क जमा करवाने होंगे। छात्र के अनुत्तीर्ण होने के कारण पाठ्यक्रम कि अवधि निर्धारित अवधि से अधिक हो जाने पर छात्र को परीक्षा शुल्क सहित विस्तारित अवधि के लिये निर्धारित शुल्कों का भुगतान करना होगा।

H. प्रवेश निरस्तीकरण नियम/प्रक्रिया :-

1. यदि यह पाया जाता है कि किसी भी उम्मीदवार ने तथ्यों को छिपाकर/गलत दस्तावेज/अधूरी जानकारी के आधार पर संस्था में प्रवेश प्राप्त किया है अथवा त्रुटिवश आवेदक को प्रवेश दे दिया गया हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अथवा अध्ययन अवधि के दौरान बिना किसी भी पूर्व सूचना के प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। उक्त संबंध में संस्था प्रमुख का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
2. प्रवेश के पश्चात् संस्था द्वारा जारी की गई तारीख पर विद्यार्थी को सम्बन्धित विभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी अन्यथा उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। किन्ही अपरिहार्य कारणों से पाठ्यक्रम मे निर्धारित तिथि तक उपस्थित न होने कि स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी के माध्यम से उचित आवेदन प्रस्तुत करना होगा अन्यथा प्रवेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
3. यदि विद्यार्थी अनाधिकृत रूप से बिना किसी सूचना के लगातार 07 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो उसका प्रवेश स्वतः रद्द माना जाएगा। अनुपस्थिति की इस अवधि को विद्यार्थी के किसी भी अवकाश से समायोजित नहीं किया जाएगा।
4. कोई भी छात्र किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है/ संस्थान परिसर के अंदर या बाहर किसी भी प्रकार के कदाचार में भाग लेता हैं /कक्षाओं में अनाधिकृत रूप से अनाचार करता है/ गैर-शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेता हैं / रैगिंग आदि के लिए उत्तरदायी होता है तो संस्था प्रमुख के पास अधिकार है की छात्र-छात्रा के अनुचित व्यवहार के कारण वह अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए संस्था से निष्कासन/प्रवेश निरस्त कर सकते हैं।
5. **उम्मीदवार द्वारा प्रवेश निरस्तीकरण :-** यदि आवेदक/विद्यार्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मलित होकर निर्धारित शुल्क एवं मूल दस्तावेज जमा करवाने के उपरांत/ पाठ्यक्रम में अध्ययन के दौरान अपना प्रवेश निरस्त करवाना चाहता है, तो उक्त सम्बन्ध में निर्धारित सीट लीविंग बॉन्ड कि राशि (डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से), जमा करवाए गए शुल्क की रसीद की मूल प्रति के साथ मय शपथ पत्र के प्रवेश निरस्तीकरण हेतु आवेदन अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यापालन अधिकारी, डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम को प्रस्तुत करना होगा। अधिष्ठाता महोदया के अनुमोदन उपरांत ही सम्बन्धित का प्रवेश निरस्त कर संस्था में प्रवेश के दौरान जमा किये गए मूल दस्तावेज सम्बन्धित/अधिकृत व्यक्ति को लौटाये जावेंगे।

I. दस्तावेजों का सत्यापन :-

Scanned with OKEN Scanner

प्रवेश के दौरान विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन की यदि आवश्यकता होती है तो सम्बन्धित जारीकर्ता विभाग/ अधिकारी को प्रेषित कर दस्तावेजों का सत्यापन करवाया जावेगा, उक्त सत्यापन में व्यय होने वाली राशि विद्यार्थी द्वारा वहन की जावेगी।

J. छात्रावास में रहने की सुविधा :–

वर्तमान में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

K. विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक नियम एवं आचरण संहिता :–

1. संस्था की गरिमा बनाये रखने हेतु समस्त विद्यार्थियों से अनुशासन, उपयुक्त व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, अतः अनुशासित रहकर संस्था के नियमों का पालन करना अनिवार्य हैं।
2. विद्यार्थियों को सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन (म.प्र.)/राष्ट्रीय सहवद्ध और स्वास्थ्य देख–रेख वृत्ति आयोग/ मध्यप्रदेश अलाइड एण्ड हेल्थकेयर कांउसिल, भोपाल / डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम द्वारा जारी समस्त नियम–नियमाकुल, पत्र–परिपत्र एवं दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. **उपस्थिति (Attendance)-** विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के दौरान समस्त सैद्धांतिक (थ्योरी), प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) एवं क्लीनिकल पोस्टिंग्स में राष्ट्रीय सहवद्ध और स्वास्थ्य देख–रेख वृत्ति आयोग द्वारा निर्धारित उपस्थिति अनिवार्य है।

   अंतिम परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता प्राप्त करने हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए निम्नानुसार न्यूनतम उपस्थिति अनिवार्य होगी –

   1. **सैद्धांतिक कक्षाओं (Theory) में न्यूनतम 80% उपस्थिति।**
   2. **कौशल प्रशिक्षण (प्रायोगिक) [Skills Training (Practical)] में न्यूनतम 80% उपस्थिति।**

   उपरोक्त नियम में किसी भी परिस्थिति में, जिसमें स्वास्थ्य खराब होना (Indisposition) आदि भी शामिल है, किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जाएगी। निर्धारित उपस्थिति के अभाव में विद्यार्थियों को आगामी परीक्षाओं में सम्मलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी, जिससे उसकी पाठ्यक्रम अवधि बढ़ जावेगी एवं आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा जारी निर्देशानुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क–प्रतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित विद्यार्थियों का आवेदन अग्रेषित नहीं किया जा सकेगा।
4. विद्यार्थियों द्वारा सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा जारी निर्धारित उपस्थिति के सम्बन्ध में "जीरो टॉलरेंस नीति" का पालन करना होगा, उक्तानुसार यदि विद्यार्थी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है तो उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जावेगा। अनाधिकृत अनुपस्थिति की पुनरावृत्ति पर अभिभावकों को सूचित किया जावेगा, तदोपरांत भी विद्यार्थी द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थिति की पुनरावृत्ति की जाती है तो सम्बन्धित विद्यार्थी को संस्था, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा से वंचित किया जा सकेगा एवं सम्बन्धित का नामांकन रद्द करने हेतु विश्वविद्यालय को सूचित किया जावेगा।
5. समय–समय पर विद्यार्थी एवं अभिभावक, विद्यार्थी की उपस्थिति एवं अध्ययन के सम्बन्ध में अवलोकन करते रहे।
6. कक्षा, लैब, विभाग एवं संस्था में डिग्री पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को नीला एप्रन (लैब कोट) पहनना अनिवार्य होगा।
7. सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन/ मध्यप्रदेश अलाइड एण्ड हेल्थकेयर कांउसिल, भोपाल में नामांकन हेतु स्थानांतरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.) एवं माइग्रेशन (प्रवजन) प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जमा करवानी होगी, उक्त दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करने के अभाव में विद्यार्थी का नामांकन नहीं हो सकेगा, जिसके लिये विद्यार्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
8. **अलाइड एण्ड हेल्थकेयर पाठ्यक्रम कार्यक्रम पूर्ण करने की समय–सीमा (Program Completion Timeline)**

Scanned with OKEN Scanner

●समस्त शैक्षणिक पाठ्यक्रम एंवं आवश्यकताओं को कार्यक्रम की निर्धारित अवधि के अधिकतम दुगुने समय के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

● उदाहरणार्थ, 2 वर्षीय कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को प्रवेश की तिथि से अधिकतम 4 वर्ष के भीतर समस्त शैक्षणिक आवश्यकताएँ पूर्ण करनी होंगी।

नोटः निर्धारित अधिकतम समय–सीमा के भीतर कार्यक्रम पूर्ण नहीं करने की स्थिति में विद्यार्थी का कार्यक्रम से स्वतः निष्कासन (Automatic Exit) हो जाएगा।

9. डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक निर्धारित पाठ्यक्रम एवं इंटर्नशिप पूर्ण करने के उपरांत ही सम्बन्धित को सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा डिग्री/डिप्लोमा प्रदान किये जावेंगे। सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को निर्धारित पाठ्यक्रम एवं इंटर्नशिप पूर्ण करने पर मध्यप्रदेश अलाइड एण्ड हेलथकेयर कांउसिल, भोपाल द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम का सर्टिफिकेट जारी किये जावेंगे।
10. पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत विघार्थी एवं सेवारत् नियमित शासकीय कर्मचारी को एम.पी.ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मध्यप्रदेश अलाइड एण्ड हेलथकेयर कांउसिल, भोपाल में पंजीयन (रजिस्ट्रशन) करवाना अनिवार्य हैं।

सूचना :– प्रवेश नियमों और प्रक्रिया में संशोधन के सभी अधिकार संस्था के पास सुरक्षित हैं, भवष्यि में कोई भी किया गया परिवर्तन आवेदक के लिए लागू होगा। सभी प्रकार के न्यायिक मामलों में न्यायिक एवं परिवाद क्षेत्र रतलाम होगा।

Scanned with OKEN Scanner

प्रोफार्मा–1

एलाइड एण्ड हेल्थकेयर पाठ्यक्रम डिप्लोमा हेतु आवेदन पत्र

(एलाइड एण्ड हेल्थकेयर पाठ्यक्रम सत्र 2026–27 में प्रवेश हेतु)

केवल नियमित विभागीय शासकीय कर्मचारी हेतु

1. श्री / श्रीमती ..... पद ..... नियुक्ति की दिनांक .....
   एवं सेवानिवृत्त होने का दिनांक..... विभाग का नाम .....
   को एलाइड एण्ड हेल्थकेयर पाठ्यक्रम द्वि–वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सहमति दी जाती है।
2. उक्त कर्मचारी को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट https://ncahp.abdm.gov.in/Curriculum पर उपलब्ध दिशा–निर्देशों एवं संस्था की नियम–निर्देशिका का अवलोकन करने के पश्चात् सहमति प्रदान करता / करती हूँ।

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

सील एवं मोबाईल नं.....

(अधिष्ठाता / जिला प्रमुख / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / संचालक)

नोटः– सक्षम अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधित कर्मचारी विभाग के लिए किस प्रकार से लोकहित मे उपयोगी है। उक्त स्वीकृति केवल पैरामेडिकल संवर्ग के कर्मचारियों को ही प्रदान किया जाना है।

Scanned with OKEN Scanner

प्रोफार्मा -2 (अ)

(स्नातक/डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु)

मिलेट्री पर्सन संवर्ग (एम.पी.) हेतु प्रमाण पत्र

भूतपूर्व सैनिक

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती..... जो डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के एलाइड एण्ड हेल्थकेयर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी श्री / कुमारी..... के पिता / माता हैं।

थल सेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक हैं। सेवानिवृति / सेवामुक्ति के समय वह..... पद पर थे/थी । उनका सर्विस क्रमांक.....था। सेवा के दौरान वह स्थायी रूप से विकलांग हो गये हैं/ सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष.....में हो चुकी है। वह मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं।

स्थान .....

दिनांक.....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

.....

(कार्यालय सील)

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र – 2 (ब)

(स्नातक/डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु)

मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत सैनिक

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....
जो डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम (मध्यप्रदेश) में अलाइड एँड हेल्थकेयर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी श्री/कुमारी .....के पिता/माता हैं।

अ– थलसेना / वायुसेना / नौसेना में..... पद पर सर्विस क्रमांक..... के अधीन कार्यरत सैनिक हैं और मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ हैं। वह मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं।

अथवा

ब– थलसेना / वायुसेना / नौसेना में..... पद पर सर्विस क्रमांक.....के अधीन कार्यरत सैनिक हैं और वह मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ हैं। वह मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं।

अथवा

स– थलसेना / वायुसेना / नौसेना में..... पद पर सर्विस क्रमांक..... के अधीन कार्यरत सैनिक हैं। वह मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय निवासी नहीं हैं परन्तु मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में दिनांक..... से सेवारत हैं।

स्थान..... हस्ताक्षर : ऑफिसर

कमांडिंग.....

दिनांक..... .....

(कार्यालय सील)

Scanned with OKEN Scanner

प्रोफार्मा -2 (स)

(स्नातक/डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु)

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थायी रूप से मध्यप्रदेश में अधिवासित होने संबंधी प्रमाण पत्र

दिनांक.....

संदर्भ क्रमांक.....

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी (उम्मीदवार का नाम).....डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम में अलाइड एँड हेल्थकेयर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है, श्री/श्रीमती (पिता/माता)..... के/की पुत्र/पुत्री हैं, जो थलसेना/वायुसेना/नौसेना..... पद, सर्विस कमाक..... के अधीन सेवारत रहकर सेवानिवृत हुए है अथवा सेवानिवृति के पश्चात / उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके परिवारजन.....(स्थान), तहसील..... जिला..... में अधिवासित हो गए है।

स्थान-.....

दिनांक-.....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालय सील)

Scanned with OKEN Scanner

प्रोफार्मा - 3

(स्नातक/डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु)

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रवर्ग हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक..... दिनाक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती..... जो डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम के एलाइड एण्ड हेल्थकेयर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी श्री कुमारी .....के पिता/माता है।

तथा

श्री/श्रीमती (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम)..... श्री/ श्रीमती. (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम)..... के पुत्र/पुत्री है।

तथा

श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सैनानी का नाम)..... के जिला क्रमांक का नाम मध्यप्रदेश के जिला.....(जिले का नाम) में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी में क्रमांक..... पर पंजीकृत है।

स्थान.....

दिनाक-.....

हस्ताक्षर

(जिला कलेक्टर/जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी)

कार्यालय की स्पष्ट मोहर

Scanned with OKEN Scanner

प्रोफार्मा–4

Proforma for EWS Certificate

Government of .....

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSET CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No.: ..... Date: .....

VALID FOR THE YEAR 2026-27

This is to certify that Shri/Smt/Kumari ..... son/daughter/wife of ....., permanent resident of ....., Village/Street ....., Post Office ....., District ....., in the State/Union Territory ....., Pin Code ....., whose photograph is attested below, belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her 'family'** is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year ..... . His/her family does not own or possess any of the following assets**:

I. 5 acres of agricultural land and above;
II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari ..... belongs to the caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List).

Signature with seal of Office

Name: .....

Designation: .....

Recent Passport size attested photograph of the applicant

*Note 1: Income covers all sources, i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

**Note 2: The term "Family" for this purpose includes the person who seeks the benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years, as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

***Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

Scanned with OKEN Scanner